भारत सरकार

गृह मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या 124.*

दिनांक 02.12.2014/ 11 अग्रहायण, 1936 (शक) को उत्तर के लिए

जेलों में विचाराधीन कैदी

†*124. श्री असादुद्दीन ओवैसी:
श्री बैजयंत जे० पांडाः

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न जेलों में बंद दोषसिद्ध और विचाराधीन कैदियों तथा गत पांच वर्षो से भी अधिक समय से जेलों में निरूद्ध विचाराधीन कैदियों की अलग-अलग लिंग-वार और राज्य-वार कुल संख्या कितनी है;

(ख) क्या राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो विचाराधीन कैदियों के सामाजिक स्तर, धार्मिक समुदाय तथा उनके द्वारा किए गए अपराध संबंधी जानकारी भी रखता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या जेलों में विचाराधीन कैदियों की संख्या कम करने के संबंध में उच्चतम न्यायालय ने केन्द्र सरकार को हाल ही में कोई निदेश जारी किया है और यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है और इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार ने इस संबध में राज्यों को कोई निदेश जारी किया है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ड़) देश की विभिन्न जेलों में विचाराधीन कैदियों की अत्यधिक संख्या को कम करने के लिए अन्य क्या कदम उठाए गए है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री **(श्री हरिभाई परथीभाई चौधरी)**

(क) से (ड़) एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

*****

<u>दिनांक 02 दिसम्बर, 2014 के लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 124 के भाग (क) से (ड.) के उत्तर में उल्लिखित विवरण</u>

(क): राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) द्वारा वर्ष 2013 के अंत में संकलित किए गए आंकड़ों के अनुसार, देश की जेलों में बंद दोषसिद्ध कैदियों की कुल संख्या 1,29,608 और विचाराधीन कैदियों की संख्या 2,78,503 थी। पिछले पांच वर्षों से जेलों में बंद विचाराधीन कैदियों की लिंग-वार और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार सूची अनुलग्नक-। में दी गई है।

(ख): जी, हां। राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो द्वारा संकलित किए गए आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2013 के अंत में जेलों में 1,92,202 हिन्दू, 57,936 मुस्लिम, 11,666 सिख, 12,406 इसाई तथा 4,293 अन्य विचाराधीन कैदी थे। सामाजिक स्तर के अनुसार, वर्ष 2013 अंत में, 59,326 अनुसूचित जाति, 31,581 अनुसूचित जनजाति, 87,848 अन्य पिछड़ा वर्ग और 99,478 अन्य विचाराधीन कैदी थे। उनके द्वारा किए गए अपराध के आधार पर विचाराधीन कैदियों के आंकड़े अनुलग्नक-।। में दिए गए हैं।

(ग) और (घ): माननीय उच्चतम न्यायालय ने विचाराधीन कैदियों से संबंधित रिट याचिका सं. 310/2005- भीम सिंह बनाम भारत संघ एवं अन्य के बाबत अपने दिनांक 5.9.2014 के आदेश में आधिकारिक मजिस्ट्रेट/मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/सत्र न्यायाधीश को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 436क के प्रभावी कार्यान्वयन के उद्देश्य से दिनांक 01 अक्तूबर, 2014 से दो माह के लिए प्रत्येक जेल/कारागार में सप्ताह में एक बैठक आयोजित का निदेश दिया है। जेल में अपनी बैठक में, उपर्युक्त न्यायिक अधिकारी उन विचाराधीन कैदियों की पहचान करेंगे जो, अधिकतम अवधि की आधी अवधि अथवा विधि के तहत कथित अपराध के लिए प्रदत्त कारावास की अधिकतम अवधि पूरी कर चुके हैं और धारा 436क के तहत निर्धारित प्रक्रिया पूरी करने के उपरांत ऐसे विचाराधीन कैदियों, जो दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 436 की अपेक्षाओं को पूरा करते हैं, को रिहा करने के लिए जेल में ही उपयुक्त आदेश पारित करेंगें।

इस मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश का अनुपालन करने के संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने के लिए दिनांक 22.09.2014 को केन्द्र सरकार ने सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के कारागार महानिदेशकों/कारागार महानिरीक्षकों से अनुरोध किया है।

(ड.): यद्यपि, भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-।। की प्रविष्टि 4 के अनुसार "कारागार" राज्य का विषय है और कारागारों का प्रशासन और प्रबंधन मुख्य रुप से राज्य सरकारों की जिम्मेवारी है, तथापि, केन्द्र सरकार ने विचाराधीन कैदियों के संबंध में निम्नलिखित कदम उठाए हैं:-

.....2/-

लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 124

(i) इस मंत्रालय द्वारा जेलों में भीड़-भाड़ को कम करने के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 436-क के प्रयोग के संबंध में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को दिनांक 17.01.2013 को एक परामर्शी-पत्र जारी किया गया है। इसे गृह मंत्रालय की वेबसाइट पर निम्न लिंक पर भी प्राप्त किया जा सकता है:-
http://mha.nic.in/sites/upload_files/mha/files/AdvSec436APrisons-060213_0.pdf

(ii) गृह मंत्री ने विचाराधीन कैदियों के मामलों में कार्रवाई करके देश की जेलों में भीड़-भाड़ को कम करने के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 436क के प्रयोग के संबंध में दिनांक 3.9.2014 को सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य मंत्रियों/उप राज्यपालों को पत्र लिखा है।

(iii) केन्द्र सरकार द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 436क के तहत विचाराधीन कैदियों की न्यायिक हिरासत में बिताए गए समय की आधी अवधि की गणना करने के संबंध में भी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को दिनांक 27.09.2014 को एक परामर्शी पत्र जारी किया गया है। इसे गृह मंत्रालय की वेबसाइट के निम्न लिंक पर भी प्राप्त किया जा सकता है:-
http://mha.nic.in/sites/upload_files/mha/files/GuidelinesForRreckoningHalfLife_161014.pdf

---

अनुलग्नक-I

वर्ष 2013 के अंत में राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो द्वारा संकलित किए गए आंकड़ों के अनुसार दिनांक 2.12.2014 के लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 124 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

क्रम सं.	राज्य का नाम	पांच वर्ष से अधिक समय से जेलों में बंद विचाराधीन कैदियों की संख्या		
		पुरुष	महिला	कुल
1	आन्ध्र प्रदेश	3	0	3
2	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0
3	असम	20	1	21
4	बिहार	441	23	464
5	छत्तीसगढ़	54	9	63
6	गोवा	28	4	32
7	गुजरात	74	11	85
8	हरियाणा	12	0	12
9	हिमाचल प्रदेश	0	0	0
10	जम्मू और कश्मीर	103	7	110
11	झारखंड	111	4	115
12	कर्नाटक	47	1	48
13	केरल	0	0	0
14	मध्य प्रदेश	43	1	44
15	महाराष्ट्र	141	1	142
16	मणिपुर	10	0	10
17	मेघालय	12	0	12
18	मिजोरम	0	0	0
19	नागालैंड	2	0	2
20	ओडिशा	55	3	58
21	पंजाब	221	73	294
22	राजस्थान	96	5	101
23	सिक्किम	0	0	0
24	तमिलनाडु	61	0	61
25	त्रिपुरा	1	0	1
26	उत्तर प्रदेश	893	21	914
27	उत्तराखंड	4	0	4
28	पश्चिम बंगाल	261	10	271
29	अ. और नि. द्वीपसमूह	1	0	1
30	चंडीगढ़	1	0	1
31	दादरा और नगर हवेली	0	0	0
32	दमण और दीव	0	0	0
33	दिल्ली	159	19	178
34	लक्षद्वीप	0	0	0
35	पुदुचेरी	0	0	0
	कुल	**2854**	**193**	**3047**

अनुलग्नक-II

वर्ष 2013 के अंत में राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो द्वारा संकलित किए गए आंकड़ों के अनुसार दिनांक 2.12.2014 के लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 124 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

क्रम सं.	अपराध	विचाराधीन कैदियो की कुल संख्या
1	हत्या	60110
2	हत्या का प्रयास	23688
3	हत्या की कोटि में न आने वाला सदोष मानव वध	7363
4	बलात्कार	19694
5	अपहरण एवं व्यपहरण	11530
6	डकैती	11414
7	डकैती की तैयारी एवं उसके लिए एकत्र होना	4705
8	लूटपाट	10220
9	सेंधमारी	6086
10	चोरी	25285
11	जबरन वसूली	2416
12	दंगा	1967
13	आगजनी	1062
14	आपराधिक विश्वास भंग	1797
15	धोखाधड़ी	5311
16	जालसाजी	1896
17	दहेज हत्या	13133
18	शील भंग के इरादे से महिला पर हमला	1553
19	महिला की मर्यादा का अपमान	598
20	पति अथवा पति के रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता	5761
21	अन्य आईपीसी अपराध	10955
22	आयुध अधिनियम	9386
23	एनडीपीएस अधिनियम	16403
24	जुआ अधिनियम	1512
25	उत्पाद शुल्क अधिनियम	5379
26	निषेध अधिनियम	1137
27	विस्फोटक एवं विस्फोटक पदार्थ अधिनियम	1176
28	टाडा	172
29	अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम	849
30	भारती रेलवे अधिनियम	2683
31	विदेशी पंजीकरण अधिनियम	1985
32	नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम	109
33	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम	2043
34	भारतीय पासपोर्ट अधिनियम	1350

.....2/-

क्रम सं०	अपराध	विचाराधीन कैदियों की कुल संख्या
35	आवश्यक वस्तु अधिनियम	347
36	पुरावशेष तथा बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम	148
37	दहेज निषेध अधिनियम	2371
38	विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम	204
39	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम	542
40	विदेशी मुद्रा संरक्षण एवं तस्करी निवारण अधिनियम	110
41	अन्य विशेष एवं स्थानीय विधि अधिनियम	3989